

अध्याय-5

संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ

परिचय

जैसा कि हम पिछले अध्याय में देखा है लोकतंत्र में जनता की इच्छा की पूर्ति उनके प्रतिनिधि द्वारा पूरे किये जाते हैं। हमने यह भी देखा है कि जब भी प्रतिनिधि संस्थान जनता के ईच्छा के विरुद्ध कार्य करती है, वह लोकतंत्र से भटक जाती है। जनता में असंतोष एवं विरोध जागृत होना शुरू हो जाता है। यह विरोध तबतक चलती रहती है जब तक ये प्रतिनिधि संस्थायें एवं शासन चलाने वाले अभिकरण पुनः जनता के हित में शासन चलाना शुरू नहीं कर दे।

इस प्रकार हम यहाँ इस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं कि अब हम जाने की जनता के हित में ये लोकतंत्र की संस्थायें किस प्रकार कार्य करती हैं। यहाँ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके इसे लागू किया जाता है। किस अभिकरण द्वारा इस प्रकार के फैसले को मूर्त रूप दिया जाता है। इसे मूर्त रूप देने की कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है। विवादित होने पर किस प्रकार विवाद को सुलझाया जाता है।

जहाँ तक निर्णय लेने का प्रश्न है वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो तीन सबसे महत्वपूर्ण संस्थायें हैं, वे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यही इस अध्याय का केन्द्रविन्दु है।


हालौकि पूर्व की कक्षाओं में इस संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं फिर भी हम यहाँ इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए इस संस्थाओं के कार्यकारी पक्ष से सम्बन्धित प्रश्नों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह संस्थान किस प्रकार कार्य करती है? इनसे जुड़ी संस्थाएं आपस में कैसे ताल-मेल कर पाती हैं। किस प्रकार ये संस्थायें लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवरण के नीचे किए गए कार्य को मुर्त रूप देती हैं। हम इनकी कार्यकारी पहलू तथा संस्थागत ढांचा की तुलना विश्व के अन्य संस्थाओं से करते हुए विषय को स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय उदाहरणों का सहारा लेंगे।

लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएँ

बच्चों! तुम्हें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा ही शासन के सम्पूर्ण कार्यों का संचालन एवं दायित्व को पूरा किया जाता है। परन्तु शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही होता है।

बच्चों तुम्हें यह भी पता है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। अतएव यहाँ संघीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करती हैं। अतएव, संघ के स्तर पर केन्द्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार शासन के दायित्व को निभाती है; नीति निर्धारण करती है और निर्णय एवं फैसले लेती है। केन्द्रीय सरकार सर्वदेशीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है जबकि राज्य की सरकार स्थानीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती ही है।

अब हम यहाँ केन्द्रीय सरकार के स्वरूप और निर्णय प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कोशिश करेंगे कि सरकार की व्यावहारिक कार्य-पद्धति को जानें।



संसद



रामदूपलाल डॉ. ए. पी.जे. अम्बुज कलाम द्वारा दिल्ली जनतानिधि ट्रोह को पद
की स्वाम्प दिलाते हुए

केन्द्र सरकार के कार्यपद्धति को स्पष्ट करने हेतु यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है। इससे उसके निर्णय की व्यावहारिक प्रक्रिया का पता चल जाएगा।

केन्द्र सरकार के कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 13

अगस्त 1990 ई० को संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से एक आदेश निर्गत हुआ। आदेश मात्र एक पन्ने की थी जो इस प्रकार था-

**G.I. Dept. of Per. & Tr., O.M. No. 36012/31/90-Est. (SCT),
dated 13.8.1990**

SUBJECT : 27 % Reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts/Services.

In a multiple undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must. The Second Backward Classes Commission, Called the MANDAL COMMISSION, was established by the then Government with this purpose in view, whoch submitted its report to the Government of India on 31st December, 1980.

2. Government have carefully considered the report and the recommendations of the Commission in the present context regarding the benefits to be extended to the socially and educationally backward classes as opined by the Commission and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the Union and their Public Undertakings. Accordingly orders are issued as follows:

(i) 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India shall be reserved for SEBC;

**G.I. Dept. of Per. & Tr., O.M. No. 36012/31/90-Est. (SCT),
dated 8.9.1993**

Subject : Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India-Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991, regarding reservation for Socially and

Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgment in the Indira Sawhney and other v. Union of India and other case [Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990], the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

यद्यपि जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत यह सर्कुलर सरकार द्वारा निकलने वाले सैंकड़ों आदेशों में एक है परन्तु इस आदेश का बड़ा महत्व है और कई सालों तक यह विवाद में रहा।

आइये देखें! यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा।

वास्तव में यह सरकारी आदेश प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी पदों एवं सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की गईं।

अब हम देखेंगे कि ज्ञापन को किसने जारी किया? उत्तर होगा— मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत यह पत्र सचिव का आदेश था। लेकिन ऐसा नहीं है। न तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का मंत्री और न ही पदाधिकारी ने ऐसा निर्णय लिया होगा। बल्कि निर्णय लेने के पहले इसे कई स्तरों से गुजरना पड़ा होगा। भारत सरकार ने सन् 1979 में पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसके अध्यक्ष वी.पी. मंडल के 1980 ई० की सिफारिश में कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस रिपोर्ट और सिफारिश पर संसद में चर्चाएँ हुईं। सांसद और पार्टियाँ इसे लागू करने की माँग करती रहीं। फिर

1989 ई० का लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल के चुनाव घोषणा-पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया गया। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार के नेता प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तब जाकर 6 अगस्त 1990 ई० को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। तब जाकर विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश का मसविदा तैयार किया। मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस पर स्वीकृति दे दी और मंत्रालय के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से 1990 ई० को ओ.एम. नं. 36012/31/90 निर्गत हुआ। हालाँकि देश में इसका काफी विरोध हुआ। पक्ष और विपक्ष में कई आन्दोलन हुए।

निर्णय के विरुद्ध कई अदालतों में मुकदमे दायर किये गये और निर्णय को अवैध घोषित करने की माँग हुई। परन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और मुकदमे को 'ईंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला' कहा। सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1992 ई० में बहुमत से फैसला किया और पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण से वंचित करते हुए आदेश को वैध ठहराया। उसी के मुताबिक, 8 सितम्बर 1993 ई० को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है।

बच्चों अभी तक हमने सीखा-

- अकेले कोई एक व्यक्ति किसी बड़े फैसले को नहीं करता।
- आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न संस्थायें होती हैं।
- कोई संस्था तभी काम करती है जब ये संस्थायें अपने कार्य को अच्छी तरह करें।
- प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएँ हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं।
- मंत्रियों द्वारा किये गये फैसले को लागू करने में उपायों के लिए के एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेवार होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है, जहाँ नागरिक और सरकार बीच विवाद अंतः सुलझाये जाते हैं।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि-

1. नीतिगत फैसला कार्यपालिका लेती है।
2. नीतिगत फैसले कार्यपालिका जनता के हित में लेती है। कभी-कभी फैसला लेने हेतु कार्यपालिका पर दबाव भी पड़ता है।
3. नीति निर्धारण के क्रम में कार्यपालिका संसद की अनदेखी नहीं कर सकती है।



चित्र

बच्चों अब हमें तुम्हें यह बतायेंगे कि फैसले लेने वाले कार्यपालिका का क्या स्वरूप है।

जैसा कि हम बता चुके हैं कि कार्यपालिका के दो तरह की होती है।

(क) राजनैतिक कार्यपालिका तथा (ख) स्थायी कार्यपालिका।

राजनैतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। राजनैतिक कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की ओर से शासन करती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है अथवा लोकसभा में बहुमत रहने तक दायित्व संभाले रहता है। स्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च पदाधिकारियों की फौज है। जो विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण में परामर्श देती है। एवं निदेशानुसार नीति के स्वरूप को अमली जामा पहनाती है इसके कार्यकाल पदस्थापित अधिकारियों के अवकाश ग्रहण करने तक बनी रहती है।

राजनैतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्री परिषद् सम्मिलित होते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं; परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद के सलाह से संपन्न करते हैं।

राष्ट्रपति के अतिरिक्त एक उपराष्ट्रपति का भी पद है जो राष्ट्रपति के गैरहाजिरी में अथवा पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति के सारे कार्य सम्पन्न करते हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन-

राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिसमें दो तरह के सदस्य होते हैं-

1. भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि त्व के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है। अभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदच्यूत किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्तों, राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं।

राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार शामिल है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की नियुक्ति, धनविधेयक की मंजूरी आदि महत्वपूर्ण कार्य है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या



सशस्त्र विद्रोह या खतरा, राज्य में संविधान की विफलता का संकट एवं आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग 1962, 1971 एवं 1975 ई. में हुआ।

संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति, मंत्रीपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकते हैं। परन्तु मंत्रीपरिषद् द्वारा पुनः विचार के उपरांत राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है।

प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद-

बच्चों! तुमने देखा है कि राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री ही करते हैं! हालांकि इस आशय का फैसला मंत्रीपरिषद् की बैठक में तय किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उसे पद त्याग हेतु विवश कर सकते हैं। अतएव मंत्रीपरिषद् पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। स्वयं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परन्तु लोकसभा के बहुमत दल के नेता होने की कारण उसकी नियुक्ति तय मानी जाती है। लोकसभा में अगर किसी दल का बहुमत नहीं रहे तो कई दल गठबंधन बनाकर नेता का चयन करते हैं। गठबंधन में सहयोगी दल सरकार में शामिल भी होते हैं या सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं।

संसद-

हर लोकतांत्रिक देश में जन प्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसे संसद कहा जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है तो इंगलैण्ड में पार्लियामेंट। उसी प्रकार फ्रांस में नेशनल एसेम्बली, जापान में डायट तथा रूस

में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है।


भारत और इंगलैंड में संसद जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा है जिसे सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्योंकि अन्य देशों की तरह भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।

संसार के सारी संसदें नए कानून बनाती हैं, वर्तमान कानून में संशोधन करती है अथवा उसे समाप्त कर सकती है। इसीलिए इसे हम विधायिका कहते हैं। केन्द्र में इसे हम संसद के नाम से जानते हैं जबकि राज्य में इसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं।


पुनः संसार में अन्य संसदों की तरह भारतीय संसद भी सरकार चलाने वाले तंत्र को नियंत्रण करने हेतु कुछ अधिकार का प्रयोग करती है। परंतु भारत में सरकार पर संसद का सीधा और पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि सरकार संसद के समर्थन पर ही अपने फैसले को लागू कर सकती है। संसद के दो सदन हैं-लोकसभा और राज्यसभा।

लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और इसके सदस्य आम तौर से सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि है और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करती है। इसे भारत में लोक सभा कहते हैं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा एवं इंगलैन्ड में हाउस ऑफ कौमन्स। राज्य स्तर पर विधान मंडल का यह सदन विधान सभा कहलाती है। भारत का राज्य सभा द्वितीय सदन कहलाती है। अमेरिका में सीनेट तथा इंगलैन्ड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वितीय सदन है। दूसरे सदन का सामान्य काम काज विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों एवं संघीय ईकाइयों के हित की निगरानी करना होता है।

पिछलें वर्ग में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा होगा। इस वर्ग की किताब के अध्याय -4 में चुनावी राजनीति में लोकसभा के चुनाव के बारे में बताया गया है यहाँ अब हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि लोकसभा और राज्य सभा में प्रमुख क्या अंतर है।



लोकसभा कक्ष का दृश्य



राज्य सभा कक्ष का दृश्य
लोकसभा एवं राज्य सभा

संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ : १०८

बच्चों, याद करके बताओं-

- लोकसभा और राज्य सभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या है?
- इन सदस्यों को कौन चुनता है?
- उसका कार्यकाल कितना होता है?
- लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है?
- राज्य सभा को भंग किया जा सकता है, अथवा नहीं?

बच्चों, तुमने जाना कि संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार का होता है—साधारण विधेयक और वित्त या धन विधेयक। साधारण विधेयक कानून बनने के पहले पाँच चरणों से गुजरता है—

प्रथम वाचन—साधारण विधेयक लोकसभा या राज्य सभा दोनों में से किसी एक में उपस्थापित किया जा सकता है। विधेयक उपस्थापित करने वाले उस विधेयक के नाम और शीर्षक बताने के उपरांत विधेयक से सम्बन्धित मुख्य बातों का जिक्र करते हैं।

द्वितीय वाचन—इस स्तर पर यह तय हाता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय अथवा जनमत हेतु इसे प्रस्तावित किया जाए। अथवा उस पर सदन में ही तुरंत विचार कर लिया जाए। इनमें से किसी एक प्रस्ताव पर सहमति बनने के उपरांत विधेयक पर विस्तारपूर्वक वाद विवाद होता है।

लोकसभा में एक दिन ...

चौदहवीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक समाजवा दिन था। आजहे इस बात पर गैर करे कि सदन में हल दिन वहा तुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करे। आप अपनी कवाम में इस दिन की कार्रवाई का अभिनव कर सकते हैं।



11.00 विभिन्न बांधियों वे सदस्यों द्वारा पूछे गए कठीय 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे:

- कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की जीति क्या है?
- पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याधारों का अकिञ्चन क्या है?
- बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएँ अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है?



12.00 देर सारे सरकारी दस्तावेज वर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे:

- भारत-तिब्बत सीमा पुरिस बल में विनियुक्त के बिषयम्

- श्रीकेश इस्टीट्यूट ऑफ एप्लोलॉजी, खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्नम की रिपोर्ट और लेखा-जोआ



- 12.02 पूर्वोत्तर देश के प्रिकाल मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया।
- टेल राज्य मंत्री ने एक बहताल देकर बताया कि लैटीकूल टेल बजट के अतिरिक्त टेलवे को और अनुदान की जरूरत है।

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने अत्यसंघर्षक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोज की पोषणा की। उक्तीये गह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सारकार को अध्यादेश बनाए लाना पड़ा।



12.14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जिनमें शामिल थे:

- तहलका ग्रामले में कुछ लेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अव्यवस्था व्यूह (झीवी-आई)
- सीवियान में एक अधिकारिक भवा के लघ में राजस्थानी की शामिल करने की जरूरत।
- ओष्ठ प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा जीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता।



2.26 सरकार द्वारा प्रस्तावित दो विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे:

- प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक
- प्रतिभूति व्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यायन (संशोधन) विधेयक



4.00 आधिकार में सरकार की विदेश जीति और द्वारक की दिव्याति के संदर्भ में उत्तरत्र विदेश जीति जारी रखाने की जरूरत पर लंबी वर्चा तुई।



7.17 वर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ।

अगर विधेयक विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाता है तो प्रवर समिति विधेयक पर विचार करती है और अगर आवश्यक हुआ तो इसमें संशोधन का सुझाव देती है।

पुनः प्रवर समिति द्वारा भेजे गये विधियक पर सदन विधेयक के प्रत्येक पक्ष पर विस्तार से विचार करती है। समर्थक और विरोधी मत विधेयक पर अपना संशोधन पेश कर सकती है। इसके उपरांत सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक विधेयक को पारित कर देती हैं।

तृतीय वाचन-इस स्तर पर विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। भाषा शुद्धि के उपरांत विधेयक पर मत लिया जाता है और उसे पारित समझा जाता है।

एक सदन के पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। दूसरे सदन में विधेयक को उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिस प्रक्रिया से पूर्व के सदन में विधेयक को गुजरना पड़ा। अगर दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद हो जाए तो संसद की संयुक्त बैठक बुलायी जाती है; जहाँ बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है। चूँकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों से अधिक होता है, अतएव लोकसभा द्वारा पारित विधेयक ही मूल रूप में संयुक्त बैठक में पारित हो जाते हैं।

राष्ट्रपति की स्वीकृति-दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जिसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत विधेयक कानून बन जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद को पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकते हैं। वर्ष 2007 में ए.पी.जे. अबुल कलाम ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए लाभ के पद सम्बन्धित विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए भेजे थे। अगर संसद पुनः उसी रूप में विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है।

स्मरणीय

- आधुनिक विश्व के प्रायः अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
- शासन के स्वरूप दो तरह के होते हैं। अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश, श्री लंका, दक्षिण अफ्रिका आदि। संसदीय शासन के उदाहरण भारत, इंगलैंड हाल में नेपाल एवं पाकिस्तान, इटली, जापान आस्ट्रेलिया (अधिकांश युरोपीय देश) आदि। जबकि फ्रांस और स्वीटजरलैंड में अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था का संयुक्त रूप है।
- मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं इसमें अमूमन विभिन्न सतरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं।
- कैबिनेट मंत्री अमूनन सत्ताधारी पार्टी या गठबन्धन के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं।
- राज्यमंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रीयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
- गठबन्धन सरकार का प्रधानमंत्री अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। गठबन्धन के साझीदारों की राय भी माननी पड़ती है क्योंकि उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिके होते हैं। हाल के ताजा उदाहरण मनमोहन सरकार में संकट तब हुआ जब एटमी करार पर वामदल ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
- दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गये हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी-कभी प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था कहा जाने लगा है क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित रहने की प्रवृत्ति देखी गयी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल

किया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता पर उनका अधिक प्रभाव था। इन्दिरा गांधी काफी प्रभावशाली प्रधानमंत्री थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।

- राष्ट्रपति का पद भी उस आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, के. आर नारायणण, ए.पी.जे. अबुल आदि सशक्त राष्ट्रपति माने जाते हैं।

राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका-

भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार दुनिया के अन्य लोकतंत्र में भी संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी प्रकार की संघीय व्यवस्था है।

भारत संघ में दो स्तरों पर सरकार का गठन किया गया है—केन्द्र और राज्य। राज्य कार्यपालिका में ही राज्यपाल, मंत्रीपरिषद और मुख्य मंत्री आते हैं। यद्यपि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान हैं परन्तु व्यवहार में प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका का प्रधान होता है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमंडल के परामर्श पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, परन्तु विधान सभा में वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद हेतु आमंत्रित करते हैं। अगर किसी एक दल का बहुमत नहीं है तो गठबन्धन के नेता को मुख्यमंत्री पद हेतु आमंत्रण देते हैं और विधान सभा में बहुमत साबित करने हेतु तिथि निश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल मंत्रीपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रीयों के बीच विभागों का बँटवारा करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा इस प्रकार

के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल करते हैं।

विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों की बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने एवं विधान सभा भंग करने के अधिकार राज्यपाल को है। पुनः राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हैं जिसे राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है। राज्यपाल को विधानपरिषद् के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के अलावा विधानमंडल में संदेश भेजने के अधिकार प्राप्त है।

राज्यपाल के स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बनता है। विधान मंडल के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति पर ही विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल के स्वीकृति के उपरांत ही धनविधेयक कानून बनता है। राज्यपाल को अपराधी का दंड कम करने, स्थगित करने या दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ करने का अधिकार है। परन्तु मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल के सिफारिश पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केन्द्र के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं और वह केन्द्र के निर्देशानुसार शासन करते हैं। राज्यपाल विभिन्न विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी होता है।

बच्चों ! राज्यपाल के अधिकार और कार्यों की विवेचना से ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक शक्तिशाली व्यक्ति है, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारा कार्य करते हैं। अतएव वह नाममात्र का प्रधान है। वास्तव में कार्यपालिका की सारी शक्ति मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्री परिषद् में छिपी है।

मुख्यमंत्री विधान सभा का नेता होता है। वह राज्य के प्रशासन के लिए नीति निर्धारण करते हैं या मंत्रीयों के बीच समन्वयक का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देते हैं। मंत्रीयों के कार्य

के बंटवारा आदि में मुख्यमंत्री की इच्छा सर्वोपरि है ; तथापि वरिष्ठ एवं व्यक्तित्व वाले मंत्रियों का महत्व वाले विभाग देने के लिए मुख्यमंत्री मजबूर है।

मुख्यमंत्री की शक्ति उस पद पर आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। बिहार में भी कई शक्तिशाली मुख्यमंत्री हुए, तो कई कमज़ोर।

विधानमंडल-संविधान में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) से मिलकर बनेगा। राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय हो या द्विसदनीय इसका निर्णय करने का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संसद को है। छः राज्यों में विधानमंडल दो सदनीय (बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र) है। एवं शेष 22 राज्यों में एक सदनीय एवं दो केन्द्र शासित प्रदेश क्रमशः दिल्ली और पाण्डिचेरी में एक सदनीय विधानमंडल है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। बिहार विधान सभा में 243 सदस्य हैं ओर बिहार विधान परिषद में वर्तमान में 75 सदस्य हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया - आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनित सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मतदाता बनने की उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है एवं 25 वर्ष पार कर चुके पुरुष/स्त्री विधानसभा अभ्यर्थी बन सकते हैं।

विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष है। परन्तु राज्यपाल इसे पाँच वर्ष से पहले भी विशेष परिस्थिति में भंग कर सकते हैं।

विधानसभा कानून बनाने वाला प्रमुख सदन है। धन विधेयक तो सिर्फ विधान सभा में ही उपस्थापित किया जाता है।

साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक सदन में उपस्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद चार महीने के भीतर अपना अनुमोदन देने के लिए वाध्य है। चार महीना से अधिक विलम्ब होने

पर विधेयक अपने आप पारित समझा जाता है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही विलम्ब करने का अधिकार है। अतएव विधि निर्माण में विधानसभा एक सशक्त सदन है। विधानसभा मंत्रीपरिषद पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न द्वारा, बजट के समय कटौती प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखती है।

मंत्रिपरिषद का सामुहिक उत्तरदायित्व विधान सभा के प्रति ही होता है। अवशिवास प्रस्ताव तथा काम रोका प्रस्ताव सिर्फ विधान सभा में ही लाया जा सकता है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्षः-प्रत्येक राज्य में विधान सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष के गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

विधान परिषदः-विधान परिषद् विधान मंडल का उच्च सदन है। अभी भारत के छः राज्यों में विधान परिषद् है। आन्ध्र प्रदेश में पहले 1957 में विधान परिषद् का गठन और फिर 1985 में उसका अन्त किया गया 1969 में पश्चिम बंगाल राज्य और 1969 में ही पंजाब राज्य ने अपने विधानमंडलीय उच्च सदन को भंग कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि जिन राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ व्यवस्था बहाल की जा सकती है। जिन राज्यों उच्च सदन की व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था समाप्त भी की जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के पूर्व विधानसभा के अपने विशिष्ट बहुमत (कुल सदस्य का बहुमत या मतदान करने वाली सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत) से प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजना होगा। यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर संबंधित राज्य में उच्च सदन की व्यवस्था का आरम्भ या अन्त कर सकते हैं।

संविधान में यह व्यवस्था है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 एवं अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होगी। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। जिसमें इसके कुल

सदस्यों का एक तिहाई भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं-नगर सभाएं, ग्रामपंचायत इत्यादि द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पुनः इसके कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है परिषद में कुल सदस्यों 1/12 भाग राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। कुल सदस्यों का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और 5 कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल ऐसे लोगों को मनोनित करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, समाजसेवी आदि का व्यवहारिक अनुभव है।

कार्यकाल-विधान परिषद स्थायी सदन है। प्रत्येक दो साल बाद एक तिहाई सदस्य अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक सदस्यों का निर्वाचन छः वर्ष के लिए होता है।

पदाधिकारी-परिषद् अपने में से एक सदस्य को सभापति और एक को उपसभापति के पद हेतु चुनती है। सभापति परिषद् के बैठकों का सभापतित्व करते हैं, सदन में शांति और व्यवस्था कायम रखते हैं।

विधानसभा की तरह साधारण विधेयक विधान परिषद् में भी उपस्थापित किया जा सकता है। अगर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो यह आवश्यक है कि विधान परिषद तीन माह में विचार कर ले। यदि विधान परिषद ऐसे संशोधन पेश करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है। या वह विधेयक को अस्वीकार कर देती है। और उस विधेयक को विधानसभा दुबारा पास कर देती है तो एक माह में विधान परिषद उस विधेयक को पास करे या ना करे, विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अतएव साधारण विधेयक के सन्दर्भ में विधान परिषद कमजोर सदन है।

न्यायपालिका-बच्चों, याद करो। इसी अध्याय में पहले बताया गया था कि 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध काफी हो हंगामा हुआ था। इसके विरुद्ध कई स्थानों पर संघर्ष हुआ।

सार्वजनिक उद्यमों और केन्द्रीय विभागों में 27प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध कई लोगों ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद पर अपना फैसला सुनाया और विवाद का संतोषजनक अन्त हो गया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया।

अब तुम्हारे सामने प्रश्न आते हैं। कल्पना करो कि निम्नलिखित परिस्थिति में क्या होता-

(क) इस देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसा कोई संस्था नहीं होता।

(ख) अगर सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं होता अथवा सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के फैसले एवं कार्गवाई को परखने का अधिकार नहीं होता।

स्पष्ट है कि देश में आतंक और अनिश्चितता का शासन हो जाता। प्रजातंत्र अपने मूल रूप से भटक जाता। संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती।

इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित अदालतों को सामुहिक रूप में न्यायपालिका कहा जाता है।

देश में न्यायपालिका का स्वरूप इस प्रकार है।

(क) सर्वोच्च न्यायालय

(ख) राज्यों में उच्च न्यायालय

(ग) राज्यों के जिलों में स्थापित न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय		
उच्च न्यायालय		
फौजदारी न्यायालय	दीवानी न्यायालय	राजस्व न्यायालय
सेशन्स कोर्ट	डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट	बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट	सब जज कोर्ट	ए.डी.एम. कोर्ट
मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	मुन्सिफ कोर्ट	डी.सी.एल.आर.कोर्ट
मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	एडिशनल मुन्सिफ कोर्ट	अंचलाधिकारी कोर्ट
एकजीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट	ग्राम कचहरी	
ग्राम कचहरी		

भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के अन्य अधीनस्थ न्यायालय होता है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था संघीय है। अर्थात् न्याय व्यवस्था दोहरी है। केन्द्र के लिए संघीय न्यायालय है। संघीय कानूनों से सम्बन्धित सभी मुकदमों एवं मुद्दों की सुनवायी संघीय न्यायालय होता है। वहाँ संघीय न्यायालय के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत में इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई और यह नई दिल्ली में स्थिति है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता निम्न है-

1. भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम पाँच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या
3. कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या
4. राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो।

नियुक्ति-न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में 65 वर्ष के उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रहते हैं। परन्तु महाभियोग द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग सदन के कुल सदस्यों की बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास होना चाहिए।

क्षेत्राधिकार-सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों में शामिल हैं दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमें आदि। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी एवं आपराधिक दोनों क्षेत्रों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी नागरिक अथवा राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक भी है। इस नाते संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ करती है।

सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है और न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति ही बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने का भी अधिकार प्राप्त है। फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश या लेख जारी करता है। इन लेखों के अंतर्गत बन्दि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण इत्यादि हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति के पुर्वानुमति से न्यायालय के अधिकारियों में वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित नियम बना सकता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। इसकी स्वतंत्रता हेतु संविधान में व्यवस्था की गई है। संविधान के 42वाँ संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चेष्टा की गई है। परंतु 43वें संशोधन द्वारा इसकी स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित कर दिया गया।

पुनः 44वें संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कुछ परिवर्तन भी किए गये हैं।

उच्च न्यायालय-संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्यों में या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय होगा। यह न्यायालय राज्य में सभी न्यायालय से ऊपर है। इसलिए इसका नाम उच्च न्यायालय रखा गया है। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल की सलाह से करते हैं।

उच्च न्यायालय में उसी व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है जो

- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) वह भारत में 5 वर्ष तक किसी न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो।

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेने के पश्चात् किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में तबादला करा सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। परन्तु संसद 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।

क्षेत्राधिकार-संविधान में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व जो उच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त था वही अधिकारक्षेत्र वर्तमान राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त हो। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार निम्न हैं—

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिरूपेध लेख, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण लेख जारी करता है। पुनः तलाक, वसीयत, जल सेवा विभाग, न्यायालय की मानहानी, कम्पनी कानून आदि से सम्बद्ध मुकदमें भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक से क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र-अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्न मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है—

(क) वैसे दिवानी मुकदमा जिसमें 5 हजार रूपये अथवा इससे अधिक की राशि अथवा इतने मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न हो।

(ख) फौजदारी के वैसे मुकदमें की अपील जिसमें दोषी को चार वर्ष या इससे अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो।

(ग) फांसी की सजा की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान रहे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय से लेनी आवश्यक है।

(घ) वैसे मुकदमें जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो।

इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण भी करता है।

इसके अतिरिक्त राज्य में जिला स्तर पर फौजदारी, दिवानी तथा राजस्व सम्बन्धित मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। सबसे नीचले स्तर पर ग्राम कचहरी होता है जिसे अधिक से अधिक 100 रूपये जुर्माना और एक माह की सजा देने का अधिकार प्राप्त है। 500 रूपये तक की दिवानी मुकदमों की सुनवायी ग्राम कचहरी कर सकता है।

कुछ जानने योग्य अन्य बातें:

- सन् 1976 में संविधान में हुए 42 वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वें संशोधन में ही संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रीमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
- भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जन्मजात और राज्यकृत में भेदभाव नहीं किया गया।

- राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 15,000 रूपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- सदन की कुल संख्या के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर सहित महाभियोग की प्रति प्रस्ताव करने वाले दिन से 14 दिन पूर्व सदन के अध्यक्ष को देना आवश्यक है।
- संसद और विधान सभा के मनोनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे मगर वे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अवश्य भाग लेंगे।
- लोकसभा अथवा राज्य सभा के महासचिव का चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी बनाता है
- राष्ट्रपति सेना का कमान्डर इन चीफ होता है।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होता है।
- भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु 1978 में मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करवाया था। 1990 में चन्द्रशेखर ने चौधरी देवी लाल को उपप्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा 2002 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने लालकृष्ण आडवानी को उपप्रधानमंत्री नियुक्त, करवाया था। हालाँकि संविधान के अनुसार उपप्रधानमंत्री कोई विशेष शक्ति नहीं है।
- एन.वी.गाडगिल ने कहा था “प्रधानमंत्री के अधिकार इतने अधिक है कि यदि स्वभाव से वह प्रजातन्त्रीय विचारधारा

का नहीं है तो निरंकुश बन जाने की बहुत आशंका है,” सन् 1975-77 के दौरान आपातकाल लागू करके श्री मती इंदिरा गांधी ने कमोवेश ऐसी हालात पैदा कर दी थी।

- 15 अगस्त 1947 से अभी तक 18 व्यक्ति प्रधान मंत्री पद की शोभा बढ़ा चुके हैं उसी प्रकार 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आरूढ़ हो चुके हैं।
- भारत में राज्य सभा में देश के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जबकि अमेरिका, रूस, स्वीटजरलैण्ड में एक या द्वितीय सदन में देश के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है
- राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान द्वारा होता है। (2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन द्वारा)
- राज्य सभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है।
- राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार है।
- यदि राज्य सभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में वर्णित विषय के सम्बन्ध में संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है तो संसद उस विषय से सम्बन्धित कानून का निर्माण कर सकती है।
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक-से अधिक संख्या 550 निश्चित की गई है। इन 550 में 530 सदस्य भारतीय

संघ के राज्यों का और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि त्व कर सकते हैं।

- अगस्त 2001 में भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पास करके लोक सभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या को 2026 तक जाम (Freeze) कर दिया है। अर्थात् 2026 तक लोक सभा और विधान सभाओं के कुल स्थानों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान 14वीं लोकसभा का गठन 17 मई 2004 को हुआ और इसके कुल 539 सदस्यों में से केवल 44 स्त्रियां चुनी गई हैं।
- लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को दोनोंपक्षों में मतों की संख्या समान होने पर अपना निर्णयक मत देने का अधिकार है।
- लोक सभा के अध्यक्ष ही दोनों सदनों ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।
- राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद विधेयक को भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार विधेयक देश के कानून का रूप धारण का लेता है।
- साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जबकि धन विधेयक पर संसद का संयुक्त नहीं अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है।

शब्दावली

गठबंधन सरकार : विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार।

कार्यपालिका : व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है।

सरकार : संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन-जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है।

न्यायपालिका : एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है।

विधायिका : जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है।

कार्यालय ज्ञापन : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है।

राजनैतिक संस्था : देश की सरकार और राजनैतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह।

आरक्षण : भेदभाव के शिकार, वर्चित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षिक संस्थाएं पद एवं सीटें ‘आरक्षित’ करने की नीति।

राज्य : निश्चित क्षेत्र में फैली राजनैतिक इकाई, जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ‘राज्य’ शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखण्ड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं।

प्रश्नावली

1. अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन-सा फैसला खुद कर सकते हैं?
 - (क) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।
 - (ख) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।
 - (ग) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
 - (घ) मंत्रिपरिषद् में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं।
2. निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?
 - (क) जिलाधीश
 - (ख) गृह मंत्रालय का सचिव
 - (ग) गृह मंत्री
 - (घ) पुलिस महानिदेशक

3. न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा बयान गलत है?

(क) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है।

(ख) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।

(ग) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।

(घ) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।

4. निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन-सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?

(क) सर्वोच्च न्यायालय

(ख) राष्ट्रपति

(ग) प्रधानमंत्री

(घ) संसद

5. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा :

- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| क. देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए | 1. रक्षा मंत्रालय |
| एक नई नीति बनाई जा रही है। | |
| ख. ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ | 2. स्वास्थ्य मंत्रालय |
| सुलभ करायी जाएँगी। | |
| ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत | 3. कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| बिकने वाले चावल और गेहूँ की | |
| कीमतें कम की जाएँगी। | |
| घ. पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। | 4. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| भत्ते बढ़ाए जाएँगे। | |

6. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है।
- क. सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।
- ख. स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार-विमर्श करती है।
- ग. दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।
- घ. भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है।
7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए:
- क. संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
- ख. लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।
- ग. चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है।
- घ. प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा।
8. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने

कहा कि यह तो एक कल्पना है। कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?

9. एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्रों से अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?
10. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन-सी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?
 - क. श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है।
 - ख. अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।
 - ग. विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया।
- आपकी राय में कौन-सा विचार सबसे सही है?
11. बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है?
12. बिहार विधानपरिषद का गठन कैसे होता है?

परियोजना कार्य

इस अध्याय में हमने देश की चार विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की। आप कम-से-कम एक हफ्ते के समाचारों को इकट्ठा करके उन्हें चार समूहों में वर्गीकृत कीजिएः

- विधायिका की कार्यशैली
- राजनैतिक कार्यपालिका की कार्यशैली
- नौकरशाही की कार्यशैली
- न्यायपालिका की कार्यशैली